

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा प्रथम) का कार्यालय, मध्य प्रदेश ऑडिट भवन, झाँसी रोड,
ग्वालियर

क्र. प्रशासन-11/स-4/का.आ.2025-26

दिनांक: 24.12.2025

कार्यालय आदेश-446

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी सम्पदा प्रबंधन के अवकाश, प्रशिक्षण, दौरा अथवा किसी अन्य कारणवश अनुपस्थित रहने की स्थिति में, उनके कार्यों के निर्वहन हेतु वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (कल्याण शाखा) को वैकल्पिक प्रभारी के रूप में नामित किया जाता है।

In the event of the Senior Audit Officer (Estate Management) being absent due to leave, training, tour, or any other reason, the Senior Audit Officer (Welfare Section) is designated as the alternate officer to discharge their duties.

(प्राधिकार: प्र.म.ले. के आदेश दिनांक 19.12.2025)

हस्ता/-

उप महालेखाकार/प्रशासन

क. प्रशासन-11/स-4/का.आ./STR-1/1000 दिनांक: 24.12.2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :

1. सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम), म.प्र. ग्वालियर।
2. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / सम्पदा प्रबंधन, कल्याण शाखा।
3. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / कार्यपालन शाखा।
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/आई.एस. विंग, को इन्ट्रानेट पर "Administration-Personnel" लिंक एवं कार्यालय की वेबसाइट पर अन्तर्गत अपलोड करने हेतु प्रेषित।
5. श्री उत्कर्ष यादव सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी को इन्टरनेट से संबंधित कार्य हेतु।
6. सूचना पटल ऑडिट भवन।
7. गार्ड फाइल।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन-11